संख्याः– 431/XXVII(1)/2009

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड,
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 23 जून,2009

विषयः–द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु नगरपालिका परिषदों को प्रथम एवं द्वितीय त्रैमासिक की किश्त हेतु धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की 32 नगरपालिका परिषदों को सलंग्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 की प्रथम एवं द्वितीय त्रैमासिक की किश्त हेतु **रु0 354768000.00 (रू0 पैंतीस करोड़ सैतालिस लाख अड़सठ हजार मात्र)** की धनराशि संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:–

(1) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1674/XXVII/(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखानुदान की **अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा**

पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन –आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–192–नगरपालिका/नगर निकाय–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20– सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

22/6/2009

(एल0एम0 पन्त)
सचिव।

संख्याः–431 (1)/XXVII(1)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8– विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकरी जैसी भी स्थिति हो।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10– एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

22/6/2009

(एल0एम0पन्त)
सचिव

शासनादेश संख्याः 431 / **XXVII (i)**/ 2009,
दिनांकः 23 जून 2009 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत नगर निगम तथा नगर पालिका परिषदों को वर्ष 2009–10 हेतु अवमुक्त संकमण।

(धनराशि हजार रू0 में)

क0 सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त संकमण	द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त संकमण	योग कुल अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1–नगर पालिका परिषद				
1-	उत्तरकाशी	5653	5653	11306
2-	जोशीमठ	4283	4283	8566
3-	चमोली / गोपेश्वर	5553	5553	11106
4-	नई टिहरी	6418	6418	12836
5-	नरेन्द्र नगर	1323	1323	2646
6-	मसूरी	16553	16553	33106
7-	विकासनगर	1583	1583	3166
8-	ऋषिकेश	7415	7415	14830
9-	दुगड्डा	445	445	890
10-	कोटद्वार	4895	4895	9790
11-	श्रीनगर	2760	2760	5520
12-	पौडी	6657	6657	13314
13-	टनकपुर	2128	2128	4256
14-	रामनगर	3679	3679	7358
15-	नैनीताल	9158	9158	18316
16-	भवाली	611	611	1222
17-	हल्द्वानी	15808	15808	31616
18-	जसपुर	3784	3784	7568
19-	काशीपुर	8333	8333	16666
20-	बाजपुर	2008	2008	4016
21-	गदरपुर	1902	1902	3804
22-	रूद्रपुर	13088	13088	26176

22/6/2009

क0 सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त संकमण	द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त संकमण	योग कुल अवमुक्त धनराशि
23-	किच्छा	3125	3125	6250
24-	सितारगंज	2454	2454	4908
25-	खटीमा	2520	2520	5040
26-	रूडकी	8486	8486	16972
27-	मगलौर	3342	3342	6684
28-	हरिद्वार	15922	15922	31844
29-	पिथौरागढ	7695	7695	15390
30-	अल्मोडा	4230	4230	8460
31-	बागेश्वर	2048	2048	4096
32-	रूद्रप्रयाग	3525	3525	7050
	योग	177384	177384	354768

(रू0 पैंतीस करोड़ सैंतालीस लाख अड़सठ हजार मात्र)

22/6/2009

(एल.एम. पन्त)
सचिव वित्त।